न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-67/2022/जिला भीलवाड़ा

1. देबीलाल पुत्र बालू
2. सोहनलाल पुत्र बालू

समस्त जाति माली निवासी तहसील कार्यालय के सामने बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

--अपीलांटस

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र बदरी
2. प्रभूलाल पुत्र बदरी

समस्त जाति माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

--रेस्पोंडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा दिनांक 22.11.2021 प्रकरण संख्या 123/2019 उनवानी नन्दलाल बनाम देबीलाल में पारित किया गया।

अपीलांट अभिभाषकः- श्री एम0एल0गुर्जर
रेस्पोंडेंट अभिभाषकः- अनुपस्थित
राजकीय अभिभाषकः- श्री आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः-22.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा के खसरा नम्बर 3145/1,3147/1,3148/1,3148/2,3184/1,3185/1,3186/1 कुल किता 7 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि रेस्पो0 नम्बर 1 की खातेदारी की भूमि एवं वर्तमान अपीलांट व रेस्पो0 नम्बर 2 की भूमियां के पास-पास स्थित है। आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इस वजह से पत्थरगढ़ी आवश्यक है। यह प्रार्थना पत्र रेस्पो0 नम्बर 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 22.11.2021 को सुनवाई की गई तथा अपील में अंकित रेस्पो0 नम्बर 2 द्वारा सहमति प्रदान की गई। उक्त कार्यवाही ''प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प'' बनेड़ा में की गई। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2021 को ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय करते हुए पत्थरगढ़ी का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा दिनांक 28.06.2022 को वर्तमान अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की। अपील के साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपील के साथ उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा का निर्णय दिनांक 22.11.2021 रेस्पो0 नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेशिका केस नम्बर 123/19 नन्दलाल बनाम देबीलाल दिनांक 11.07.2019 से दिनांक 22.11.2019 तक तथा सूचनापत्र , मौकापर्चा दिनांक 13.05.2022 प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:27:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.11.2021 की जानकारी उसे दिनांक 29.05.2022 को प्राप्त हुई थी। दिनांक 30.05.2022 को नकल हेतु आवेदन पत्र लगाया जाकर दिनांक 06.06.2022 को नकल प्राप्त की थी तथा अपील को अंदर मियाद मानने हेतु निवेदन किया। न्यायालय हाजा में दिनांक 28.06.2022 को उक्त अपील दर्ज होना पाया जाता है। चूंकि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था। अतः अपीलांट को उक्त निर्णय बाबत जानकारी नही रही होगी। अतः जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

दिनांक 14.07.2022 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई अंतरिम स्थगन बाबत अगले दिनांक तक अपीलाधीन आदेश की पालना को खसरा नम्बर 3145/1, 3148/1, 3185/1, 3186/1 के संदर्भ में स्थगित रखा गया था।

रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहें। एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो में बताये गये बिन्दुओं को दौहराया गया तथा यह कहा कि हमारी खातेदारी इनके (रेस्पोडेंट) खेतों के चारों तरफ है। अपीलाधीन प्रकरण को पूर्व में दिनांक 11.07.2019 को उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा द्वारा दर्ज किया गया था। दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में इसे ले जाया गया। इस बाबत कोई नोटिस हमे तामील नही हुआ। प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान अपीलांटगण उपस्थित नहीं थे। मगर प्रफोर्मा रेस्पोडेंट प्रभुलाल से अभियान के दौरान सहमति ले ली गई। जबकि वह मुख्य रेस्पोडेंट नहीं था अपितु प्रफोर्मा रेस्पोडेंट था तथा अपीलकर्ता नन्दलाल का भाई था। अपील स्वीकार की जायें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। न्यायालय प्रोसिडिंग प्रकरण संख्या 123/2019 प्रार्थना पत्र 111,128 एलआरएक्ट दिनांक 11.07.2019 से दिनांक 22.11.2019 का अवलोकन किया गया। दिनांक 22.11.2021 की प्रोसिडिंग के अनुसार इस पर सिर्फ प्रभुलाल और नन्दलाल के हस्ताक्षर है। नन्दलाल अपीलकर्ता था तथा प्रभुलाल उसका भाई है। पत्रावली के अभियान में शिफ्टिंग के दौरान कोई नोटिस वर्तमान अपीलांट को जारी किया होना नहीं पाया जाता है। मात्र प्रफोर्मा रेस्पोडेंट की सहमति पर पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा द्वारा निर्णित किया गया था। जो उचित नहीं है। क्योंकि प्रशासन गांवों के संग अभियान में उन्हीं प्रकरणों का निपटारा किया जाता है, जिनमें सभी पक्षों की सहमति हो। वर्तमान प्रकरण में वर्तमान अपीलांटगण की कोई सहमति नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा उठाये गये आक्षेपो की पुष्टि होती है। अपीलांट को बिना सुने सहमति मानकर गलत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो उचित नहीं है एवं उक्त निर्णय खारिज योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय 123/2019 नन्दलाल बनाम देवीलाल व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआरएक्ट 1956 बाबत पत्थरगढ़ी, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा निर्णय दिनांक 22.11.2021 को खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:27:25 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर